

Bill No. 23 of 2015

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS
AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION)
(AMENDMENT) BILL, 2015**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- *In sub-section (1) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,-*

(a) for the existing expression “1st April, 2012”, the expression “1st April, 2015” shall be substituted;

(b) for the existing expression “rupees seven thousand five hundred”, the expression “rupees fifteen thousand” shall be substituted; and

(c) for the existing expression “rupees one thousand”, the expression “rupees one thousand two hundred” shall be substituted.

3. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- *In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act,-*

(a) for the existing expression “1st August, 2014”, the expression “1st April, 2015” shall be substituted; and

(b) for the existing expression “rupees three thousand five hundred”, the expression “rupees six thousand two hundred twenty five” shall be substituted.

4. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression “rupees forty thousand per month”, the expression “rupees fifty thousand per month” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2015.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Chief Minister has made announcement on 26.03.2015 to increase the minimum pension of the Ex-Members of the Rajasthan Legislative Assembly from rupees 7,500 to rupees 15,000 with effect from 1st April, 2015 and to increase Constituency Allowance of the Rajasthan Legislative Assembly Members from rupees 40,000 to rupees 50,000. Looking to the rise in prices it was decided that the amount of pension payable to the Ex-Members of the Rajasthan Legislative Assembly above the minimum pension should be increased from rupees 1,000 per month to rupees 1,200 per month for every year or part thereof over first five year and the minimum family pension should be increase from rupees 3,500 to rupees 6,225.

To implement the above announcements and decisions, amendments are proposed in sections 4-A, 4-C and 8-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल
महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (34) विधि/2/2015 जयपुर, दिनांक 6 अप्रैल,
2015 प्रेषक: राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: विशिष्ट सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में,
मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां
और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को राजस्थान विधान सभा में
विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2, 3 and 4 of the Bill, if enacted, shall involve recurring expenditure of about Rs. 7,98,68,000/- per annum.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS
EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1956
(Act No. 6 of 1957)**

XX XX XX XX XX

4-A. Pension and other facilities.- (1) With effect from 1st April, 2012 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand five hundred per mensem and an additional pension of rupees one thousand per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

- (i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or
- (ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or
- (iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or
- (iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or
- (v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-

election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.

(2) to (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

4-C. Family pension to the spouse of the Ex-member.-

(1) The spouse of a deceased Ex-member shall be entitled with effect from 1st August, 2014 or with effect from the date of death of such member, whichever is later, to receive per mensem a family pension equal to rupees three thousand five hundred or equal to fifty percent of the last drawn pension by such member, whichever is higher:

Provided that-

- (i) If the person entitled to a family pension under this section is in receipt of any salary or pension from any other source, then,-
 - (a) where the amount of salary or pension being received from other source is equal to or more than the family pension receivable under this section, such person shall not be entitled to any pension under this section; and
 - (b) where the amount of salary or pension being received from other source is less than the amount of family pension receivable under this section, such person shall be entitled to receive family pension under this section in addition to such salary or pension from other source subject, however, that the aggregate of both the family pension under this section and the salary or pension from other source shall not exceed the maximum amount payable under this section as family pension;
- (ii) If the spouse of such member remarries, he or she shall not be paid any pension under this section; and

- (iii) Where more than one wife has survived such member, the amount of family pension payable under this section shall be paid to such wives in equal shares.

Explanation I.- For the purpose of this section 'last drawn pension' in respect of a member of the Legislative Assembly who had died or resigned before the expiry of his term of his office shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of his death or, as the case may be, resignation, and in respect of an Ex-member who did not draw pension before his death, shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of expiry of his last term of office.

Explanation II.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

(2) XX XX XX XX XX

XX \XX XX XX XX

8-C. Constituency Allowance.- (1) A member shall be entitled to received the Constituency Allowance of rupees forty thousand per month.

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.23

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-क की उप-धारा (1) में:-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2012" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी:

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "सात हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2014" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2015" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह हजार दो सौ पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2015 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों की न्यूनतम पेंशन 1 अप्रैल, 2015 से 7,500 रुपये से बढ़ा कर 15,000 रुपये करने की और राजस्थान विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 40,000 रुपये से बढ़ा कर 50,000 रुपये करने की 26.03.2015 को घोषणा की थी। कीमतों में वृद्धि को देखते हुए यह विनिश्चित किया गया था कि राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को संदेय पेंशन की रकम, प्रथम पांच वर्ष से अधिक के प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए उपरोक्त न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 1,200 रुपये प्रतिमास, और न्यूनतम कौटुम्बिक पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ा कर 6,225 रुपये की जानी चाहिए।

उपर्युक्त घोषणाओं और विनिश्चयों को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क, 4-ग और 8-ग में यथोचित रूप से संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,

प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल
महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (34) विधि/2/2015 जयपुर, दिनांक 6 अप्रैल,
2015 प्रेषक: राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: विशिष्ट सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज़ापन

विधेयक के खण्ड 2, 3 और 4 यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो इससे लगभग 7,98,68,000/- रू. वार्षिक का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6) से लिये गये

उद्धरण

XX

XX

XX

XX

XX

4-क. पेंशन और अन्य सुविधाएं.- (1) 1 अप्रैल, 2012 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार पांच सौ रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत

की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी हैं:-

- (i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या
- (ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या
- (iii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या
- (iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति; या

- (v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

4-ग. भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को कौटुम्बिक पेंशन.- (1) किसी मृतक भूतपूर्व सदस्य का पति या पत्नी 1 अगस्त, 2014 से या ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन हजार पांच सौ रुपये या ऐसे सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के पचास प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा:

परन्तु-

- (i) यदि इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी भी अन्य स्रोत से कोई वेतन या पेंशन प्राप्त करता है, तो,-

- (क) जहां अन्य स्रोत से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन के बराबर या उससे अधिक है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; और
- (ख) जहां अन्य स्रोतों से प्राप्य वेतन या पेंशन की रकम इस धारा के अधीन प्राप्य कौटुम्बिक पेंशन की रकम से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति अन्य स्रोत से ऐसे वेतन या पेंशन के अतिरिक्त इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, तथापि, इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन और अन्य स्रोत से वेतन या पेंशन, कुल मिलाकर दोनों इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन के रूप में संदेय अधिकतम रकम से अधिक नहीं होंगी;
- (ii) यदि ऐसे सदस्य के पति या पत्नी का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसे इस धारा के अधीन कोई पेंशन संदत्त नहीं की जायेगी; और
- (iii) जहां ऐसे सदस्य की एक से अधिक पत्नियां उत्तरजीवित रहती हैं, वहां इस धारा के अधीन संदेय कौटुम्बिक पेंशन की रकम ऐसी पत्नियों को बराबर भागों में संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के संबंध में, जो अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, "अंतिम आहरित पेंशन" वह रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदावधि समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

(2) XX XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX

8-ग. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता.- (1) सदस्य प्रतिमास चालीस हजार रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2)XX XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और
पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS
AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION)
(AMENDMENT) BILL, 2015**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Rajendra Rathore, **Minister-Incharge**)